**F.No. NCBC/08/10/76/2019**

# राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

## सुनवाई का कार्यवृत

सुनवाई की तिथि : 20.01.2020

समय : 11:00

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी :

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ.
2. श्री ए.एन. श्रीवास्तव, जी.एम., ओ.एफ.बी
3. श्री एस.के. पटनायक, डी.डी.जी., ओ.एफ.बी
4. मिस अनुपमा त्रिपाठी, ए.जी.एम., ओ.एफ.बी
5. श्री के.सी. मीना, डिप्टी सेक्रेटरी, रक्षा मंत्रालय
6. श्री राकेश सिंह, शिकायतकर्ता

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण :–

**माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल** : राकेश जी बताइये, आयोग में आने से पहले आपने उच्चतर प्राधिकारियों के समक्ष रिप्रिजेन्ट किया था?

**शिकायतकर्ता, श्री राकेश कुमार** : माननीय सदस्य जी, मैंने कई बार रिप्रिजेन्ट किया था। चेयरमैन और जी.एम. को भी किया था लेकिन कभी सुनवाई ही नहीं की गयी और मेरी Representation को दबा कर रख दिया गया।

**माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल** : क्या राकेश जी ने रिपिजेन्टेशन किया था?

**ए.एन. श्रीवास्तव, जी.एम., ओ.एफ.बी.** : माननीय सदस्य जी, मैंने अगस्त में जॉइन किया है, इनका रिप्रिजेन्टेशन मेरे आने से पहले दिया गया होगा।

**माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल** : अगर आपने अगस्त में जॉइन किया है तो इसका ये मतलब नहीं की आपको जानकारी नहीं है। आप आयोग में आए हैं तो

आपको इस मामले की पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था, आप यह कहकर जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं।

**अनुपमा त्रिपाठी, ए.जी.एम., ओ.एफ.सी** : इनकी Representation को हमने देखा है और इनकी जो शिकायत थी उसके हिसाब से प्रमोशन नहीं दिया जा सकता था क्यों कि प्रमोशन रिकार्ड के हिसाब से इनपर क्रिमिनल केश चल रहा था इस वजह से हमलोग इनका प्रमोशन नहीं कर पा रहे थे, पहले एक आर्डर जारी कर दिया गया था।

**एस.के. पटनायक, डी.डी.जी., ओ.एफ.सी** : डी.ओ.पी.टी. की गाईडलाइन है कि इन तीन Condition में Promotion को Seal cover में रखा जाता है। इनके Case में यही हुआ है कि इनका Promotion आ गया और उसके बाद पता लगा कि इनके खिलाफ Case चल रहा है। अगर इनका Case Final हो जाता है तो इनका यहॉ से भी Clear हो जायेगा। यह डी.ओ.पी.टी. का 2012 का आर्डर है जिसकों 2012 में Retraited किया गया है।

**माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल** : राकेश जी, क्या आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग है?

**शिकायतकर्ता, श्री राकेश कुमार** : माननीय सदस्य जी, हॉ मेरे ऊपर Case चल रहा है लेकिन पिछड़े वर्ग के होने के कारण साथ भेदभाव किया गया जबकि एक अन्य ऑफिसर श्री दिनेश चन्द्र के ऊपर भी इसी तरह का Case चल रहा था और उनको Promotion दिया गया है।

**माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल** : क्या यह हो सकता है कि समान केश में एक आदमी को प्रमोट कर दिया गया है और एक को नहीं?

**एस.के. पटनायक, डी.डी.जी., ओ.एफ.सी** : माननीय सदस्य जी, ऐसा नहीं हो सकता है।

**मिस अनुपमा त्रिपाठी, ए.जी.एम., ओ.एफ.डी** : माननीय सदस्य जी, दूसरे Case में Police ने Charge Sheet frame की हुई है कोर्ट में इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया था। तथा ऑफिसर द्वारा कहा गया था कि Case न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

**माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल** : अगर पुलिस ने चार्जशीट की हुई है और न्यायालय के संज्ञान में नहीं लिया गया है तो Promotion किया जा सकता है?

**एस.के. पटनायक, डी.डी.जी., ओ.एफ.डी** : हॉ सर, किया जा सकता है।

**माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल** : इनकी File की Noting पर लिखा हुआ है कि इनके ऊपर Case चल रहा है।

**एस.के. पटनायक, डी.डी.जी., ओ.एफ.डी** : इनके Case में मामला कोर्ट में नहीं था।

**शिकायतकर्ता, श्री राकेश कुमार** : सर 2015 में आगरा के कोर्ट ने इनको NBW भी जारी किया है और इन्होंने धारा 326 को हटाने के लिए भी कोर्ट में Case किया था। और 20.06.2016 को इनका Promotion कर दिया गया। सर जिन्होंने (राउत साहब) इनको Promotion दिया है उन्होंने ही मुझे दिखाया था कि श्री दिनेश चन्द्र के खिलाफ NBW जारी किया गया है।

**माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल** : आयोग इसलिए नहीं है कि किसी को Demote कर दिया जाए जिस अधिकारी ने यह सब लिखा होने के बावजूद प्रमोशन किया है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इसमें श्री दिनेश चन्द्र की कोई गलती नहीं है कि उनका प्रमोशन कर दिया गया है। और आप ये नहीं कह सकते कि उनके Case के बारे में जानकारी नहीं थी। फाईल पर नीचे के सभी अधिकारियों ने लिखा है कि उनके खिलाफ Case चल रहा है। भेदभाव तो किया गया है एक

को Promotion दे दिया गया और दूसरे को नहीं दिया गया। DOPT के फैसले को भी ignore किया गया है।

**एस.के. पटनायक, डी.डी.जी., ओ.एफ.बी** : सर, हम कोर्ट से भी इस Case से related Document मंगवा रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं।

**माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल** : Document कोर्ट से कब तक ले लेंगे?

**अनुपमा त्रिपाठी, ए.जी.एम., ओ.एफ.बी** : जल्दी ही मंगवा लेंगे।

**माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल** : हमें 30–31 जनवरी तक भिजवा दीजिए इसके बाद हम इसको Review करेंगे। श्री राकेश का भी यही कहना है कि जब श्री दिनेश चन्द्र को प्रमोशन दिया गया है तो इन्हें भी दिया जाए।

**श्री के.सी. मीना, डिप्टी सेक्रेटरी** : सर, जब डी.पी.सी. हुई थी तो हमें मालूम नहीं था कि इन दोनों के ऊपर Case चल रहा है इसलिए हमने तो दोनों को ही recommend कर दिया था।

**सुनवाई सम्पन्न।**

**(कौशलेन्द्र सिंह पटेल)**
**सदस्य,**
**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग**

## राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/10/76/2019-KSP

## आयुध निर्माणी बोर्ड के साथ दिनांक 08.10.2020 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगणः-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री सी. रामाचन्द्रन, डीडीजी, आयुध निर्माणी बोर्ड, दिल्ली
3. श्री बी. कृष्णमूर्ति, डायरेक्टर, आयुध निर्माणी बोर्ड, दिल्ली
4. श्री ए. एन. श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी कानपुर
5. श्रीमती अनुपमा त्रिपाठी, अपर महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी कानपुर
6. श्री राकेश सिंह, शिकायतकर्ता, आयुध निर्माणी कानपुर

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-** क्या आप शपथ-पत्र लेकर आये है?

**डायरेक्टर, आयुध निर्माणी बोर्डः-** सर, शपथ-पत्र के लिए बोर्ड को इंफार्म कर दिया था।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-** हम आपसे बात करें, आप बोर्ड को इंफार्म करें तब तो ये सालों चलता रहेगा। इतना समय नहीं है क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ने हमें 15 विभाग दे रखे हैं। अगर आप लोगों के पास कोई अथोरिटी हो तब तो बात करे, अगर बोर्ड को ही सूचित करना है तो सुनवाई का क्या फायदा। आपके पास कोई अथोरिटी लेटर है?

**डीडीजी, आयुध निर्माणी बोर्डः-** जी सर।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-** आयोग जानना चाहता है कि श्री राकेश सिंह के केस में एक जॉच रिपोर्ट नं JtGM/Ord/Inq/C4 दिनांक 10.01.2020 श्री राकेश सिंह की तरफ से उपलब्ध करायी गयी है क्या यह सही है या गलत है?

**एजीएम, आयुध निर्माणी कानपुरः-** यह ~~सही~~ authentic है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-** आप आयोग को शपथ-पत्र पर लिखकर दीजिये कि यह जांच रिपोर्ट सही है।

**जीएम, आयुध निर्माणी कानपुरः-** सर, शपथ-पत्र में क्या लिखना है उसके बारे में हम आर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड को बिना बताये कुछ नहीं लिख सकते है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-** आप लोगों को आयोग में आने से पहले यह सब सोचना चाहिये था, आप लोग इतने जिम्मेदार अधिकारी है और आपका जांच अधिकारी लिख कर दे रहा हैं कि इनके साथ discrimination हुआ है एक जैसे मामले में 2 फार्मूले अपनाये गये हैं आप लोगों को उस पर कार्यवाही करके फिर आयोग मे आना चाहिये था। आयोग ने तो कोई कर्मचारी इंक्वायरी करने के लिये नहीं भेजा था, आपसे ही कहा था कि आप इसकी जांच करा लीजिये। आपके विभाग के अधिकारी ने जांच रिपोर्ट दी है कि एक जैसे मामले में दो प्रेक्टिस अपनायी गयी है। आज आप आयोग में आये है फिर कोई अगली तारीख लगेगी। आपके चेयरमैन साहब नही आये, जो आपने बताया हमने मान लिया और फिर आप अगली बार कुछ ऐसा ही लिख कर दे देंगे, तो यह ऐसे ही 8-10 महीने तक चलता रहेगा। तब तक हो सकता है कि शिकायतकर्ता का रिटायरमेंट भी आ जाये। जब आपके अधिकारी ने लिख कर दिया तो कम से कम आप लोग उसके अनुसार कार्यवाही करके आते कि चलो गलती हो गयी उसका सुधार करें।

**जीएम, आयुध निर्माणी कानपुरः-** यह रिपोर्ट हम लोगों ने आयुध निर्माणी बोर्ड को भेजा था। 29.01.2020 को हमने लिखा हुआ है कि श्री दिनेश चन्द्रा की चार्जशीट फाइल नहीं हुई है और श्री राकेश सिंह को चार्जशीट 2013 में जारी हुई है व प्रमोशन 2016 का है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-** श्री राकेश सिंह के प्रमोशन की कार्यवाही कब सम्पन्न हुई?

**एजीएम, आयुध निर्माणी कानपुरः-** अप्रैल 2016 में। सर, अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है तो केस जिस दिनांक से शुरू हुआ है जैसे इनका केस 03.08.2013 से शुरू हुआ है तब से माना जायेगा। 01.04.2016 को आयुध निर्माणी बोर्ड ने आर्डर किया है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-** आयोग को शपथ-पत्र पर जवाब दीजिए, आप अपने पत्र को ही शपथ-पत्र पर लिख कर नहीं दे सकते है। जब आप इस रिपोर्ट को औथेंटिक मान रहे है तो इसके अनुसार कार्यवाही क्यों नही की?

**एजीएम, आयुध निर्माणी कानपुरः-** जो जॉच अधिकारी है उन्होंने लिख कर दिया है फिर हमने उस रिपोर्ट को बोर्ड को भेजा है। बोर्ड ने इनका प्रमोशन आर्डर कैंसिल किया है। यह रिपोर्ट सिर्फ फैक्टरी के ऑफिसर की है, लेकिन प्रमोशन बोर्ड के ऑर्डर पर नहीं हुआ है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-** आयोग को आप शपथ-पत्र पर लिख कर दीजिये कि यह जॉच रिपोर्ट सही है। श्री राकेश सिंह के प्रनोशन की कार्यवाही किस डेट को सम्पन्न हुई थी?

**एजीएम, आयुध निर्माणी कानपुरः-** सर, अप्रैल 2016 में आर्डर आया था डेट हम ढूंढ रहे है। हमारे पास कोर्ट की सत्यापित कॉपी है जिसमें 2013 से इनका केस चल रहा है। चार्जशीट 2016 में फाइल हुई है लेकिन जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो जिस डेट से केस चल रहा है तब से माना जाएगा।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-** इनका प्रमोशन कब हुआ है?

**एजीएम, आयुध निर्माणी कानपुरः-** आयुध निर्माणी बोर्ड का 01.04.2016 का प्रनोशन आर्डर है और हमारी फैक्टरी में 13.04.2016 का है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-** 21.08.2020 को श्री राकेश सिंह ने आयोग को एक रिप्रिजेंटेशन दिया है इस रिप्रिजेंटेशन को आप पढ़ लीजिये, इसमें जो गलत है उसको आप शपथ-पत्र पर लिख कर दीजिये कि यह गलत है।

**एजीएम, आयुध निर्माणी कानपुरः-** जो इनका प्रमोशन आर्डर आया है उसके बाद सेक्सन से नोटिंग बनी थी कि इनके खिलाफ केस चल हा है। इसलिये जो फैक्टरी के आफिसर थे उन्होंने बोर्ड को रेफर किया था फिर बोर्ड ने इनका आर्डर कैंसिल किया है। इसी तरीके

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-** श्री दिनेश चंद्रा के ऊपर मुकदमा कब दर्ज हुआ था?

**एजीएम, आयुध निर्माणी कानपुरः-** 10.06.2014 को एफआईआर हुई है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-** श्री राकेश सिंह के ऊपर एफआईआर कब हुई थी?

**शिकायतकर्ताः-** सर, 24.12.2012 मेरे ऊपर एफआईआर नहीं हुई थी एनसीआर हुई थी।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-** श्री दिनेश चन्द्रा के एनबीडब्लू की कापी दिखाईये?

**शिकायतकर्ताः-** सर, देखिये इन्होने लिख कर दिया है कि 06.04.2015 को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-** डीडीजी साहब, अब आप इस रिपोर्ट को पढिये, आप बोर्ड के बडे अधिकारी है आप निर्णय लीजिये।

(रिपोर्ट को पढ़कर सुनाते हुए) श्री.रामचन्द्र

**डीडीजी, आयुध निर्माणी बोर्डः-** "स्थायी अधिवक्ता के अनुसार यह स्पष्ट है कि श्री दिनेश चंद्रा के विरूद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद माननीय विचारण न्यायालय ने उस पर विचार किया और श्री दिनेश चद्रा की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिये उनके विरूद्ध दिनांक 06.04.2015 को गैर जमानती वारंट जारी किया परंतु श्री दिनेश चंद्रा माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो रहे है और अभी तक उन्होने जमानत नहीं कराई है।".

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-** एन.बी.डब्लू कौन जारी करता है?

**एजीएम, आयुध निर्माणी कानपुरः-** सर, कोर्ट जारी करता है।

**जीएम, आयुध निर्माणी कानपुरः-** सर, मेरा निवेदन है कि यह लीगल मैटर है हम लोग रिप्लाई दे सकते है लेकिन हम अपने वकील से बात कर लेंगे।



श्री.रामचन्द्र

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-** Withcut taking cognizance, Court cannot issue NBW. Are you agreeing?

**डीडीजी, आयुध निर्माणी बोर्ड:-** कोर्ट ने 06.04.2015 को वारंट जारी किया है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-** आप अपने चेयरमैन साहब से पूछ लीजिये कि अगले सप्ताह आयोग में किस दिन आयेंगे।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-** अगली सुनवाई दिनांक 15.10.2020 को होगी।

सुनवाई सम्पन्न ।

(श्रीमती अनुपमा त्रिपाठी)
अपर महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी कानपुर

(श्री ए. एन. श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी कानपुर

(श्री बी. कृष्णमूर्ति)
डायरेक्टर, आयुध निर्माणी बोर्ड, दिल्ली

(श्री सी. रामाचन्द्रन)
डीडीजी, आयुध निर्माणी बोर्ड, दिल्ली

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग**

**NCBC/08/10/76/2019-KSP**

**आयुध निर्माणी बोर्ड के साथ दिनांक 15.10.2020 की सुनवाई का कार्यवृत्त**

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री सी. एस. विश्वकर्मा, चेयरमैन, आयुध निर्माणी बोर्ड
3. श्री सी. रामाचन्द्रन, डीडीजी, आयुध निर्माणी बोर्ड, दिल्ली
4. श्री संजय श्रीवास्तव, डीडीजी/जी/, आयुध निर्माणी बोर्ड
5. श्री बी. कृष्णमूर्ति, डायरेक्टर, आयुध निर्माणी बोर्ड, दिल्ली
6. श्री ए. एन. श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुर
7. श्री एस. के. पटनायक, महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, डमडम पूर्व डीडीजी/आयुध निर्माणी बोर्ड
8. श्रीमती अनुपमा त्रिपाठी, अपर महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुर
9. श्री राकेश सिंह, शिकायतकर्ता, आयुध निर्माणी, कानपुर

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-** कार्यवाही शुरु की जाये।

**चेयरमैन, आयुध निर्माणी बोर्ड:-** जी सर।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-** चेयरमैन साहब आपको तो पूरा केस ब्रीफ हो गया होगा। जीएम साहब आपने क्या फाइंड आउट किया?

**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुर:-**सर, मैंने इस केस की समीक्षा की है। हमारे पास डाक्यूमेंट्स उपलब्ध है, पिछली सुनवाई में कहा था Cognizance पर डीओपीटी की क्या गाइडलाइंस हैं? उसको देखा गया, उससे यह उभर कर आया है कि Cognizance उसको कहते हैं जिस डेट को चार्जशीट पर जुडिशल मजिस्ट्रेट लिखेंगे कि संज्ञान लिया गया। कुछ डॉक्यूमेंट कोर्ट से मंगवाये गये है, इनके केस में प्रमोशन 01.04.2016 को हुआ था और उसकी चार्जशीट पुलिस ने 15.02.2013 को बनायी थी वह संज्ञान ले चुके हैं। एसीजेएम ने 04.03.2013 को संज्ञान में लिया है और इस कारण से प्रमोशन नही किया गया है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:** -इस बात को आप आयोग को शपथ-पत्र पर लिखकर दीजिए। आपके अधिकारी ने ही जाँच रिपोर्ट में

लिखा है कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आप आयोग को शपथ-पत्र पर लिख कर दीजिए कि यह जांच रिपोर्ट गलत है और अगर यह गलत है तो जिस अधिकारी ने यह जाँच की है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी?

**चेयरमैन, आयुध निर्माणी बोर्ड:** -जीएम साहब, इस जाँच रिपोर्ट को देख लीजिए।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:** -इनकी देखने की कोई मंशा ही नहीं है। श्री दिनेश चंद्रा के खिलाफ 6 मुकदमे है और श्री राकेश सिंह के खिलाफ 4 मुकदमे है और फैक्टरी के जिस अधिकारी ने नोटिंग बनाई थी उन्होने दोनों पक्षों के लिए ईमानदारी पूर्वक नोटशीट में लिखा है लेकिन जिसको आप लोग बचा रहे हैं उन्होंने नोटशीट में यह लिखा है। (नोटशीट दिखायी गयी)

**चेयरमैन, आयुध निर्माणी बोर्ड:** -माननीय सदस्य की बात को ध्यान में रख कर इसे देखा जाएगा।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-** चेयरमैन साहब ओएफसी के पत्र में लिखा है कि श्री दिनेश चंद्रा के विरूद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद माननीय विचारण न्यायालय ने उस पर विचार किया और श्री दिनेश चंद्रा की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिये उनके विरूद्ध दिनांक 06.04.2015 को गैर-जमानती वारंट जारी किया। क्या कोर्ट के संज्ञान में लिये बिना एनबीडब्ल्यू जारी हो सकता है?

**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुर:** -उदाहरण के तौर पर यह एक आरोप पत्र है। (आरोप पत्र दिखाया गया)

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-** क्या आपने दूसरे पक्ष की जानकारी भी कोर्ट से निकलवायी है?

**अपर महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुर:** -जी सर, दूसरे पक्ष की जानकारी निकलवायी है। श्री दिनेश चंद्रा जी की दो चार्जशीट है एक 2014 की फाइल की हुई है लेकिन 05.02.2020 को संज्ञान में लिया गया है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:** -ठीक है आप लोग शपथ-पत्र पर लिख कर दीजिए और दूसरी कौन-सी चार्जशीट है?

**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुरः** -दूसरी चार्जशीट भी है इस पर डेट नहीं है लेकिन यह दिसम्बर 2019 की ही फाइल की हुई है कोर्ट से दोनों केस में हम लोगों ने स्टेट्स मांगा था, हमने चार्जशीट की कॉपी मांगी थी।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** -ठीक है आयोग को शपथ-पत्र पर लिख कर दीजिए और सब डॉक्यूमेंट लगा दीजिये।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** - श्री राकेश सिंह जी क्या कहना चाहते हैं?

**शिकायतकर्ताः** - सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आर्डर है कि समन जारी करने को ही Cognizance माना जाएगा।

**शिकायतकर्ताः** - मैं चेयरमैन साहब को कुछ दिखाना चाहूंगा सर आरोप पत्र दोनों के लिए दाखिल है यह हमारे मिनट्स है जिसमें प्रमोशन कैंसिल किया गया है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** -आपके जांच अधिकारी लिख रहे हैं In a similar case of promotion of Shri Dinesh Chandra to the post of DGM factory has taken entirely different view. Before publishing the F.O. Pt II for promotion of Shri Dinesh Chandra vide Ir under ref vi) it was brought to the notice of competent authority that a criminal case is pending against him. But his case was not referred to OFB and factory order for promotion was published. चेयरमैन साहब यह बता दीजिए कि जो जॉइंट जीएम ने इंक्वायरी नंबर JtGM/Ord/Inq/04 दिनांक 10.01.2020 को रिपोर्ट दी है क्या यह सही है या गलत है?

**चेयरमैन, आयुध निर्माणी बोर्डः-** सर, इसकी जो Further situation है इसमें कोई भी इंक्वायरी होती है वह दो तरह की होती है, एक तो Examination होता है और दूसरा Institutionalized होता है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** -जब यह इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी नहीं है तो फिर एक संवैधानिक संस्था के सामने इस तरह के कागजात, जिसका आपके पास कोई relevance नहीं है क्यों प्रस्तुत किया गया है?

**चेयरमैन, आयुध निर्माणी बोर्डः-** यह जांच रिपोर्ट श्री राकेश सिंह ने आरटीआई से मांगी थी।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** -जब यह गलत है, मानने योग्य नहीं है और इसका कोई relevance नहीं है तो यह आरटीआई में क्यों दिया गया है। जो जांच करने वाला अधिकारी है क्या वह गैजेटेड ऑफिसर नहीं है या सक्षम व्यक्ति नहीं है। अगर नहीं है तो उनको जांच अधिकारी क्यों बनाया? जिसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने ही जांच का काम दिया, उसने जांच की, अब जांच आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं है तो आप कह रहे हैं इसका कोई relevance नहीं है। महाप्रबंधक जी आप पिछली बार सुनवाई में कब आए थे ?

**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुरः** -सर, 08.10.2020 को।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः**- तो आयोग के समक्ष इस पर कार्यवाही करके आना चाहिये था।

**महाप्रबंधक ,आयुध निर्माणी, कानपुरः** -यह एक एग्जामिनेशन था जो हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भेजा था। बोर्ड ने इसके आधार पर हम लोगों को आदेश दिया था कि इसे एग्जामिन करवाइए, जिस पर यह निर्णय हुआ कि डिटेल्स दी जाए। तो इसके ऊपर बोर्ड में पूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** -10 जनवरी का आर्डर है आज हम लोग अक्टूबर में हैं। क्या बोर्ड को एक्शन लेने में 10 महीने से ज्यादा का समय लगता है? आयोग चेयरमैन साहब से जानना चाहता हूं कि क्या एक जांच रिपोर्ट पर फैसला लेने में 10 महीने का वक्त लग जाता है?

महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, इटारसी.
पूर्व – **डीडीजी/जी/, आयुध निर्माणी बोर्डः** -सर, इंक्वायरी की गयी थी और जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष पर किस आधार पर पहुंचा गया है उसके डॉक्यूमेंट साथ लगे होते हैं परन्तु इनकी जांच रिपोर्ट के साथ कनेक्टेड डॉक्यूमेंट नहीं है। बोर्ड से पत्र लिखा गया है कि सारे कागजात उपलब्ध कराये। सारे कागजात आने के ब्राद पता लगेगा कि इस जांच रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाये या रिजेक्ट किया जाये।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** - आयोग को यह बताइये कि इसको एक्सेप्ट करने में या रिजेक्ट करने में आपको कितने महीने का समय चाहिए। किसी व्यक्ति के भविष्य की बात है। 10 जनवरी, 2020 का आर्डर है आज 15 अक्टूबर, 2020 है तो क्या इससे यह साबित नहीं होता है कि आप लोग पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए किस प्रकार से नाइंसाफी करते हैं।

**चेयरमैन, आयुध निर्माणी बोर्ड:** -सर 01 सितंबर, 2020 से मैंने चेयरमैन का चार्ज लिया है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:** -01 सितंबर से भी डेढ़ महीना हो गया है।

**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुर:** -इसमें कोर्ट से डॉक्यूमेंट मांगे गये है, कोर्ट की कार्यवाही बंद थी।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-** ऐसा कौन-सा न्यायालय है जहां से 10 महीने से आप लोग कागज मांग रहे हैं और आपको कागज मिल नहीं रहे है।

अपर महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुर: -कोर्ट बंद होने की वजह से नहीं मिल पा रहे है ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग: -कोर्ट कब बंद हुआ था?

अपर महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुर: -मार्च में।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:** -23 मार्च को बंद हुआ है इससे पहले जनवरी और फरवरी में कोर्ट खुला था। ऐसा नहीं है कि कोर्ट एकदम से बंद हो गया हो, बीच-बीच में खुल रहा है। आयोग को नियम बता दीजिए कि जांच करने में कितने दिन लगते हैं? किसी बात का आप लोग साफ-साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। यहां बोर्ड के सबसे बड़े अधिकारी बैठे हैं आयोग नियम पूछ रहा है कि इस जांच रिपोर्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए कितने दिन चाहिए होते है?

**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुर:** -डॉक्यूमेंट मिल जाएगें, तो कर देंगे।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:** - आप संभावनाओं पर बात न करें, नियम की बात करिए।

**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, डमडम:** -नियम तो ऐसा कोई मेंशन नहीं है। सर मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। जो पहली सुनवाई में बताया था हम लोगों को लगा कि श्री दिनेश चंद्रा वाले केस में कोई Omission है तो हम लोग तुरंत कार्यवाही करेंगे, अगर

गलत होता है तो सुधार करेंगे और इनका केस भी एग्जामिन करेंगे। डॉक्यूमेंट में सब कुछ अलग आ रहा है तो वह क्लेरिटी में चाहिए कि किस डेट को माना जाये।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** -आप लोग बड़े अधिकारी हैं और बहुत जानकार लोग हैं, नियम कानून सब आप जानते हैं मुझे साफ-साफ बताइए कि इस जांच रिपोर्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। यह पेपर उपलब्ध करवाना किसकी जिम्मेदारी है?

**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुरः** -हम लोगों की है सर।

**अपर महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुरः** -सारे डॉक्यूमेंट के साथ सबमिशन कर दिया था। हम लोगों के पास जब यह आया, अपने सारे सपोर्टिंग डाक्यूमेंट्स के साथ हम लोगों को रिवर्ट बैक कर देना चाहिए था । इसमें थोड़ी सी ढील इस वजह से हो गयी कि हम लोगों ने इसे बोर्ड को भेज दिया, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** -मिसकम्युनिकेशन का जिम्मेदार कौन है? अगर इसमें गलती हुई है तो Which officer is responsible? आप सब लोग आए हैं, रक्षा मंत्रालय से जुड़े लोग हैं, तो सरकार के TA-DA पर आएं होंगे इतने लोगों के आने में लाखों रुपए लगे होंगे और आप लोग तीन बार आयोग में आ चुके हैं और घुमा-घुमा कर बात करते हैं पिछली सुनवाई में आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात नहीं की थी, पिछली सुनवाई में आपने शपथ-पत्र दिया है और आज यह जांच रिपोर्ट सस्पेक्टेड हो गयी।

**अपर महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुरः** -नहीं सर।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** -Who is responsible for this delay, please reply on Affidavit.

**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुरः** -आज की डेट में भी हम कह रहे हैं कि यह जांच रिपोर्ट ऑथेंटिकेटेड है।

**चेयरमैन, आयुध निर्माणी बोर्डः** -अगर डॉक्यूमेंट प्रीमेच्योर है तो उसको इस तरीके से नहीं देना चाहिए था।

**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुरः**- इससे पहले बोर्ड ने शायद मांगा नहीं था, जितने डॉक्यूमेंट थे वह सारे उसी में थे और चार्जशीट की कॉपी अभी मिली है और जो डाक्यूमेंट्स मिलेगें, उसे बोर्ड को भेज देंगे।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** -How much time you will take?

**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुरः-** सर लीगल काउंसिल से हम लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी मांगी है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** - क्या लीगल काउंसिल को डॉक्यूमेंट देने में 10 महीने लगेंगे?

**अपर महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुरः**- सर, हमने सर्टिफाईड कॉपी मांगी है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** - क्या सत्यापित कॉपी लेने में 10 महीने लगते है?

**अपर महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुरः**- सर आगरा कोर्ट से लेने है इसलिये समय लग रहा है।

**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुरः**- सर, इसको एग्जामिन कर लेंगे।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** -आप कितनी बार एग्जामिन करेंगे?

**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुरः**- सर delay हुआ है सत्यापित कॉपी मांग रहे हैं इसको एग्जामिन करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** -एग्जामिन क्या करेंगे? आपने जॉइंट जीएम से एग्जामिन करवाया है, वह साफ-साफ लिख रहे है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का कोई प्रमाण नहीं मिला है लेकिन इस जांच में अधिकारी ने एक जैसे केस में दो व्यू लिये है और डिस्क्रिमिनेशन हुआ है।

**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुरः**- सर, थोड़ा सा समय दे दीजिए।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** -अब कोई समय नहीं दिया जायेगा।

**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुरः**- सर, थोड़ा सा समय दे दीजिए, इस माहौल को देखते हुए।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः** -छोटा सा इशु था, आप लोग चेयरमैन साहब को यहां बुलाने की जगह इसे खत्म कर सकते थे।

**चेयरमैन, आयुध निर्माणी बोर्डः-** श्री राकेश सिंह, आपने जीएम साहब से बात की है?

**शिकायतकर्ताः-** सर मैं जीएम साहब से नहीं मिला हूँ।

**चेयरमैन, आयुध निर्माणी बोर्डः-** क्यों नहीं मिले?

**शिकायतकर्ताः-** सर, पिछले जीएम साहब से बात की थी, उनको पूरा केस मालूम है।

**चेयरमैन, आयुध निर्माणी बोर्डः-** आप जीएम साहब से मिल लीजिए, अपना पूरा पक्ष रखिए, हम अपने चैनल पर बात करेंगे।

**शिकायतकर्ताः-** ठीक है सर।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-** आज की दिनांक से 15 दिन का समय दिया जाता है फिर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

**सुनवाई सम्पन्न।**

**(श्रीमती अनुपमा त्रिपाठी)**
**अपर महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुर**

**(श्री एस. के. पटनायक)**
**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, डमडम**

**(श्री ए. एन. श्रीवास्तव)**
**महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुर**

**(श्री संजय श्रीवास्तव)**
**डीडीजी/जी, आयुध निर्माणी बोर्ड**

**(श्री सी. एस. विश्वकर्मा)**
**चेयरमैन, आयुध निर्माणी बोर्ड**

**(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)**
**माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग**

# राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

## मिसिल संख्या रा.पि.व.आ./08/10/420/2020-केएसपी

## ओएफबी के अधिकारीगण के साथ दिनांक 08.07.2021 को हुई सुनवाई का कार्यवृत्त

**बैठक में उपस्थित अधिकारीगण:**

1. श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री रामायण यादव, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्री सी एस विश्वकर्मा, डी.जी.ओ.एफ. एवं अध्यक्ष, ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड
4. श्री संजय श्रीवास्तव, उप महानिदेशक, ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड
5. श्री राकेश सिंह, शिकायतकर्ता

**सुनवाई का विस्तृत विवरण**

1. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा कितनी सिलेक्शन कमेटी कांस्टीट्यूट की गई, इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा समूह 'क' की नियुक्तियों के संदर्भ में बताया गया कि सिलेक्शन कमिटी यूपीएससी द्वारा कांस्टीट्यूट की जाती है और ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड में समूह 'क' के लिए कोई डिपार्टमेंटल लेवल पर सिलेक्शन कमिटी कांस्टीट्यूट नहीं की जाती है।
2. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि आयोग को रोस्टर रजिस्टर नहीं भेजने का क्या कारण है, इस संबंध में डी.जी.ओ.एफ. एवं अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का रोस्टर रजिस्टर को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
3. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि दिनेश चंद्रा के मामले में वर्ष 2014 में चार्जशीट फाइल हो गई थी और 2016 में आप लोगों ने उन्हें प्रमोशन भी दे दिया है. डीओपीटी के वर्ष 2012 के ओएम दिनांक 02.11.2012 में बताया गया है कि "The issues of promotion of an officer, who may be technically cleared from vigilance angle but in whose case it may not be

appropriate to promote him/her in view of doubtful integrity or where a chargesheet is under consideration etc. has been under examination in this department". और इस संबंध में पुलिस ने भी आपको सूचित किया था तो उसके बाद भी किस आधार पर श्री दिनेश चंद्रा का प्रमोशन किया गया, इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि डीओपीटी ओम के उपरोक्त पैरा के संदर्भ में अनुपालन हेतु निदेश इसी ओएम के पैरा 8 में दिए गए हैं. साथ ही यह भी कहा गया कि अभी तक डीओपीटी के द्वारा पारिवारिक विवाद से संबंधित आपराधिक मामलों को पदोन्नति हेतु अन्य अपराधिक मामलों से अलग रखने हेतु हमें अब तक कोई निर्देश नहीं मिला है ।

4. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड में कांट्रेक्ट बेसिस पर कितने अधिकारी एवं कर्मचारी काम कर रहे हैं, इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि ऑडनेंस फैक्ट्री के बोर्ड के अधीन इकाइयों में उनकी जानकारी के अनुसार सिर्फ डॉक्टर (मेडिकल आफिसर) पद के लिए शॉर्ट टर्म पर कांट्रेक्ट पर नियुक्ति की जाती है ।

5. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड में कांट्रेक्ट बेसिस पर नियुक्ति में आरक्षण लागू है, इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि कांट्रेक्ट बेसिस पर नियुक्ति सिर्फ 6 महीने के लिए की जाती है । आयोग द्वारा कहा गया कि कांट्रेक्ट बेसिस नियुक्ति पर आरक्षण लागू है या नहीं, इसका जवाब आयोग को शपथ-पत्र पर उपलब्ध करने के लिए कराया जाए ।

6. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया है कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कितने अधिकारी हैं और उनमें से कितने अधिकारी पिछड़े हैं इससे संबंधित सारा डाटा आयोग को उपलब्ध कराएं ।

7. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि ग्रुप 'ए' में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 11.32% क्यों है, इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया है कि ग्रुप 'ए' में आरक्षण नियुक्ति होने पर लागू होता है, जबकि ग्रुप 'ए' के प्रमोशन लेवल पर ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं होता है ।

8. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या ओएफबी में पिछडे वर्ग का अलग से साक्षात्कार किया जाता है, इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया है कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड में नियुक्ति के लिए रिक्रूटमेंट सेंटर बनाया गया है किंतु ग्रुप 'ए' के सभी पद यूपीएससी द्वारा भरे जाते हैं ।

2.8.21

2/8/21

9. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या सिलेक्शन कमेटी में ओबीसी का सदस्य होता है, इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि ऑडनेंस फैक्ट्री बोर्ड की सिलेक्शन कमिटी में नियमानुसार ओबीसी का सदस्य होता है । माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि पिछले 3 वर्षों की सभी सेलेक्शन कमेटी तथा डीपीसी में सम्मिलित ओबीसी सदस्यों का नाम व उनका ओबीसी प्रमाण पत्र को उपलब्ध कराया जाए ।

10. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि ऑडनेंस फैक्ट्री बोर्ड में रोस्टर रजिस्टर कितनी बार रि-कास्ट हुआ है, इस संबंध में उप महानिदेशक द्वारा बताया गया कि जब भी सैंक्शंड स्ट्रैंथ रिवाइज होती है तब रोस्टर रि-कास्ट होता है । आयोग द्वारा यह जानकारी शपथ पत्र पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया जिसे तत्काल बैठक में ही उपलब्ध कराया गया ।

उपरोक्त सभी अपेक्षित जानकारी आयोग को 03 कार्य दिवस में उपलब्ध कराई जाए.

2.8.21

**(संजय श्रीवास्तव)**
**उप महानिदेशक**
**ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड**

2/8/21

**(सी एस विश्वकर्मा)**
**डीजीओएफ एवं अध्यक्ष**
**ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड**

**(श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल)**
**माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग**